

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1491/2014/जोधपुर

मैसर्स झुलेलाल एलाइड मेटल्स,
8-III-F-रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) प्रथम,
जोधपुर।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थागण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.आर.सिंघवी,
अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता


.....प्रत्यर्थागण की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 8/आरवेट/जेयूडी/14-15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 22 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 के जरिये अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क रुपये 25,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।
2. प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैं कि विवरण पत्रों की देरी के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा विलम्बशुल्क का अभिनिर्धारण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक बहस एवं लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी पूर्णतः कर मुक्त माल का संव्यवहार करता है एवं त्रैमासिक विवरण पत्र के बजाय वार्षिक विवरण पत्र दिनांक 24.02.2013 को ई-रिटर्न द्वारा अपलोड किया गया परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा

लगातार.....2



हार्डकॉपी के अभाव में बिना नोटिस जारी किए विवरण पत्र प्रस्तुती की अंतिम तिथि के 9 माह पश्चात अधिनियम की धारा 22 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित कर विलम्ब शुल्क आरोपित किया। अतः उक्त आदेश अविधिक होने से अपास्तनीय है।

5. इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि नियम 19(10) के अनुसार यदि विवरण पत्र बिना कर, ब्याज एवं लेटफीस के प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विवरण पत्र की श्रेणी में मान्य नहीं है तदनुरूप उक्त कर निर्धारण धारा 22 के बजाय धारा 24 में किया जाना था एवं धारा 24 के अंतर्गत कर निर्धारण बिना समुचित अवसर प्रदान किये संपूरित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना रिटर्न के विलम्ब शुल्क का निर्धारण संभव नहीं है। विलम्ब शुल्क का अभिनिर्धारण करदाता स्वयं अपना विवरण पत्र पेश करने पर अपनी मंशा से पालना हेतु है, न कि कानूनी अधिकारिता द्वारा बाध्य किया जाकर अभिनिर्धारित किया जा सकता है। सशक्त अधिकारी को विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण की अधिकारिता नहीं होना जाहिर किया। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम विवरणियां प्रस्तुत करने के संबंध में विहित प्रावधानों का अवलोकन किया। तदनुरूप धारा 21, 22 नियम 19 एवं 19ए में निम्न प्रकार है :-

Sec. 21. FILING OF RETURN - (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

(2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns of may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.

“22. Assessment of failure to deposit tax or submit return or audit report - (1) Where a dealer has failed to deposit tax in accordance with the provisions of section 20 within the notified period or has failed to submit a return in accordance with the provisions of section 21, or an audit report in accordance with the provisions of section 73, within the prescribed period, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner shall, without prejudice to the penal provisions in this Act, after making such enquiry as it may consider necessary and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, assess tax for that period to the best of his judgment.”

19 Return (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10A and VAT- 11, as the case may be.

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official web-site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).

(3) Where the amount of tax, interest or late fee, if any, is not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of challan in Form VAT-37, receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner within fifteen days of the last date for filing of such returns(s).

(4) Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers ;

(a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3; or

(b) who exclusively deals in goods ;

(i) which are exempted under the Act, or.....”

रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी कर मुक्त वस्तुओं का संव्यवहार करता है तदनु रूप उसकी 19(4)(b)(i) के अनुरूप उसकी वार्षिक विवरणी वेट 11 के रूप में होगी। वर्ष 2011-12 का वार्षिक रिटर्न वेट 11 की अन्तिम प्रस्तुती आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 06.03.2013 के अनुसार दिनांक 30.04.2013 तक की जानी थी जो अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 24.02.2013 को अपलोड की गई परन्तु नियम 19(2) के परन्तुक के अनुसार डिजिटली हस्ताक्षरित न होने पर प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि 15 दिवस में विभागीय वेब साईट के माध्यम से उत्पन्न अभिस्वीकृति पर अपने अथवा बिजनेस मैनेजर के हस्ताक्षरयुक्त उक्त अभिस्वीकृति 15 दिवस के अन्दर विभाग को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी की थी परन्तु अपीलार्थी ने उक्त नियम का उल्लंघन किया है। उक्त अभिस्वीकृति प्रस्तुत नहीं करने पर प्रस्तुत ई-रिटर्न अप्रस्तुत रिटर्न में शुमार होगी। यह एक विधिक प्रक्रिया है जिसका पालन व्यवहारी द्वारा नहीं किया गया है। उक्त नियम 19 में संशोधन जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम 2014 दिनांक 14.07.2014 के द्वारा किया गया है। तदनु रूप इसका अंकन निम्न प्रकार से है :-

“However, for the period prior to 01.04.2014, if the dealer has failed to furnish the signed copy of acknowledgement generated through the official website of the department, within the time prescribed under the rules which were in force at that time, the date of submission of signed copy of said acknowledgement shall be deemed to be the date of the filing of the return.”

इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि डिजिटली हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना कानूनन अपीलार्थी को अनिवार्य था अतः अप्रस्तुती पर सशक्त अधिकारी ने उक्त प्रस्तुत वेट 11 को रिटर्न नहीं मानकर धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने को अग्रसर हुए हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।



8. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन कतई उचित नहीं माना जा सकता कि यदि अपीलार्थी जो अपना विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करेगा तो ही उसका विलम्ब शुल्क जमा करवाने का दायित्व है एवं विवरण पत्र प्रस्तुत ही नहीं करे तो उस पर किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क का दायित्व नहीं है यह व्याख्या करना विधि की मंशा के विरुद्ध है। यह कथन नियम की व्याख्या के संदर्भ में अवज्ञाकारी है। तदनुरूप नियमविहित आवश्यकताओं की पालना नहीं करने पर विहित दायित्व की प्रतिकूलता दृष्टिगोचर होती है। यह कभी भी नियमों के मंशा नहीं हो सकती है। इससे प्रावधानों की पालना नहीं करने वालों को प्रोत्साहित करना तथा पालना करने वालों को हतोत्साहित करने का अर्थ निकलेगा जो विधिक अराजकता पैदा करने वाला होगा। अतः विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क देय नहीं होने का कथन अस्वीकार किया जाता है।

9. अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट 11 समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुरूप उस पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का दायित्व होगा नियम 19ए आलौच्य अवधि में निम्न प्रकार से विहित किया गया है :-

“19A Late fee - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (F.12(11)FD/Tax 2013-104 dt. 6.3.2013 w.e.f. 1.4.2013)

(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees twenty five thousand, in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act.


(ii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees one thousand, in case there is no turnover of the dealer during the period under return, and

(iii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.”

10. वर्ष 2011-12 के लिये वैट 11 प्रस्तुत करने की तिथि 30.04.2013 थी अतः चूंकि अपीलार्थी कर मुक्त वस्तुओं का व्यवहारी है तदनुरूप इस पर नियम 19A(iii) के अनुसार विलम्ब शुल्क लागू होगा जो अधिकतम 5000/- रुपये हो सकता है। चूंकि सशक्त अधिकारी ने प्रत्येक त्रैमास पर 5000/- रुपये विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि की गई है, जो उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है, केवल वार्षिक विवरणी वैट 11 हेतु ही 5000/- रुपये का विलम्ब शुल्क ही विधिनुकूल है अतः 5000/- रुपये के शुल्क को यथावत रखते हुए शेष आरोपित शुल्क अपास्त किया जाता है।

11. फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


26.9.2016
(मदन लाल)
सदस्य